

**फर्द अहकाम**  
(नियम 26)

त उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा

मुकाम मालाखेड़ा

मनोहरि

बनाम

हरि किशोर

द्वारा

दावा

नं.

1/24

सन 2025

क्र.सं.	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तामील में जारी हुए।
	<p>16/04/26 पत्रावली आज वकीलवादी के पार्शना पत्र पर तलब की गई। वादी/वादीवकील ने पार्शना पत्र प्रस्तुत कर दावा No. 1/24 के विषय में कार्य निवृत्त किया। अनुवारी पक्ष में पक्षधारी का बर्ताव जो सामा हो चुका है। अतः उक्त दावा को वापस लेना चाहते हैं। वादी की पहचान जोरिये अधिवक्ता तबदीक की गई। पत्र वादी स्वीकार किया जाता है। वाद पत्र No. 1/24 में रविवर किया जाता है। पत्रावली फेराल होकर नम्बर से कम हो। वाद पूर्ण जमा लेख तबदीक हो।</p>	<p><del>मनोहरि</del> 9/4/26 /m (1/24/26)</p>
	<p>उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर)</p>	